न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 348/2020 जीसीएमएस नम्बर 2020/00274

1. रामगोपाल पुत्र श्री बाला बक्स उम्र 75 वर्ष, निवासी ग्राम कालवाड़ा उप तहसील कालवाड तहसील व जिला- जयपुर (मृतक)
   1/1 सोहन लाल पुत्र स्व. श्री रामगोपाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कालवाड़ तहसील जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

1. श्री प्रभुनारायण पुत्र श्री मांगी लाल उर्फ मालीलाल महाजन निवासी कालवाड़ तहसील व जिला- जयपुर (मृतक)
   1/1 श्री श्यामसुन्दर पुत्र स्व० श्री प्रभुनारायण, उम्र करीब 45 वर्ष, हाल निवासी शिव कॉलोनी, मन्दिर के पास खातीपुरा सर्किल, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर
   1/2 श्री रामबाबू पुत्र स्व० श्री प्रभुनारायण, उम्र करीब 40 वर्ष, हाल निवासी शिव कॉलोनी, मन्दिर के पास खातीपुरा सर्किल, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर
   1/3 श्रीमति सरिता पत्नी श्री राकेश जी पुत्री स्व० श्री प्रभु नारायण, उम्र बालिग, निवासी शिव कॉलोनी, मन्दिर के पास खातीपुरा सर्किल, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर.
   1/4 श्रीमति गीता पत्नी श्री संजय जी पुत्री स्व० श्री प्रभु नारायण, उम्र बालिग, हाल निवासी शिव कॉलोनी, मन्दिर के पास खातीपुरा सर्किल, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर.
   1/5 श्रीमति कोमल पत्नी श्री मनोज जी पुत्री स्व० श्री प्रभु नारायण, उम्र-बालिग, हाल निवासी – शिव कॉलौनी, मन्दिर के पास खातीपुरा सर्किल, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर.
   1/6 श्रीमति कान्ता देवी पत्नी स्व0 प्रभुनारायण, उम्र करीब 65 हाल निवासी शिव कॉलौनी, मन्दिर के पास खातीपुरा सर्किल, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर.
2. श्री गंगाराम
3. श्री छोटे लाल
4. श्री गणेश
5. श्री ईश्वरलाल
6. श्री पूरणमल पुत्रगण कल्याण सहाय सैनी निवासी– हरनाथपुरा तहसील व जिला– जयपुर
7. भू–आवंटन सलाहकार समिति तहसील जयपुर जरिये पैरोकार.

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं आदेश 43 व्यवहार प्रक्रिया संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 24–09–13 श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जयपुर.

उपस्थित–

1. श्री रतनलाल गौड वकील अपीलान्ट।
2. श्री रामधन चौधरी वकील रेस्पो0 1/1 से 1/5 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–23.07.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2013 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुरद्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2013 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों का दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार जयपुर ने पक्षपातपूर्ण सिफारिश के आधार पर विपक्षी –1 के पिता श्री मांगीलाल पुत्र श्री भैरू लाल महाजन को सिवायचक भूमि ग्राम कालवाड़ की खसरा नं0 198 से रकबा 8 बीघा का गैरकानूनी आवंटन दिनांक 22–6–1967 को कर दिया है। जोकि प्रारम्भ से ही निरस्तनीय है। नियमानुसार आवंटन से पूर्व कोई उद्घोषणा जारी होना नहीं पाया जाता। आराजी ख0नं0 198 से रकबा 8 बीघा जोकि विपक्षी 1 के पिता श्री मांगीलाल को अलॉट की गई है, उसमें पूर्व से ही मन्दिर बना हुआ था। जिसका प्रार्थी अर्सेदराज से पुजारी है। इस कारण भी यह भूमि विपक्षी 1 को आवंटन योग्य नहीं थी । विपक्षी 1 के पिता श्री मांगीलाल ने भूमिहीन कृषकों के लिये आरक्षित भूमि में से उक्त आलटमेंन्ट मिस रिप्रेजेन्टेशन कर प्राप्त किया है। प्रार्थी के अन्य सदस्यों के पास जमीन नहीं है। इस प्रकार आलाटमेंन्ट दिनांक 22–6–1967 को विपक्षी–1 के पिता श्री मांगीलाल भूमिहीन कृषक की परिभाषा में नहीं आते थे, साथ ही अलाटमेन्ट की शर्तों का उल्लघंन है। विपक्षी 1 का पिता श्री मांगीलाल मात्र कृषि पर ही निर्भर नहीं था । शर्त 4 के अनुसार उसका मुख्य धन्धा खेती व दुकानदारी था। विपक्षी –1 द्वारा सरकारी जमीन को हडपनें की नीयत से विपक्षी–2 लगायत 8 से षडयन्त्र कर, खसरा नं० 198 की उक्त आलटमेंन्ट की 8 बीघा भूमि में से 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि को उनको बेचान किया जाना दिखा दिया है। जबकि दिनांक 16–01–97 को नुमाईशी विक्रय पत्र द्वारा बेचान करने से पूर्व ही प्रार्थी ने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद दायर कर दिनांक 9–01–97 को विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखने की निषेधाज्ञा सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर ली थी। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आवंटन के समय आवंटी के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि नहीं थी। आवंटी द्वारा नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट अंकित है, जिसके मुताबिक आवंटी जिस ग्राम में भूमि आवंटित हुई है उसी गांव का रहने वाला है। आवंटी के परिवार में 6 सदस्य है तथा आवंटी का मुख्य धंधा खेती व दुकानदारी है। दुकानदारी करने से यह नहीं माना जा सकता है कि वह कृषि का कार्य नहीं कर सकता है। प्रार्थी ने जो नामान्तरकरण की प्रति भूमि

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पूर्व से होने की पुष्टि में प्रस्तुत की है, उससे आवंटी का कोई सम्बन्ध नहीं है। पटवारी हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात ही भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवंटन किया गया है, आवंटी ने न तो कोई तथ्य छिपाये है और न ही गलत तथ्य आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। आवंटन के पश्चात आवंटी को कब्जा सम्भलाया गया है और उस पर आवंटी काबिज काश्त चला आ रहा है। आवंटी द्वारा कब्जा काश्त करने के आधार पर ही तथा शर्तों की पालना होने के पश्चात ही खातेदारी का नामान्तरकरण आवंटी के पक्ष मे स्वीकार किया गया है। वर्तमान में आवंटी आवंटित आराजी का खातेदार काश्तकार है, आवंटन वर्ष 1967 का है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् जॉच पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता हैप्रकरण में मूल विवाद भू आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन ओदश दिनांक 22.06.1967 को लेकर है। श्री मांगीलाल पुत्र श्री भेंरूलाल महाजन को सिवायचक भूमि ग्राम कालवाड की खसरा नं0 198 से रकवा 8 बीघा का आवंटन किया गया है। अपीलांट ने कथन किया है कि आवंटन से पूर्व कोई उद्घोषणा जारी नही हुई एवं आराजी ख0नं0 198 से रकबा 8 बीघा जो कि श्री मालीलाल को अलॉट की गई है, उसमें पूर्व से ही मन्दिर बना हुआ था। जिसका प्रार्थी अर्सेदराज से पुजारी है। इस कारण भी यह भूमि विपक्षी 1 को आवंटन योग्य नहीं थी ना ही आवंटी भूमिहीन कृषक था उसका मुख्य पेशा दुकानदारी है। जो कि भूमिहीन कृषक की परिभाषा में नहीं आते थे, साथ ही अलाटमेन्ट की शर्तों का उल्लघंन है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों व जॉच के आधार पर आवंटी मांगीलाल पुत्र भैरूलाल के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1967 को ग्राम कालवाड में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं0 198 से रकवा 8 बीघा का आवंटन को यथावत रखा गया है जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1967 बाबत् खसरा नं0 198 से रकवा 8 बीघा खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर प्रथम जयपुर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 24.09.2013 निरस्त किया जाता है तथा ग्राम कालवाड में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं0 198 से रकवा 8 बीघा के संबंध में आवंटन आदेश दिनांक 22.06.1967 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 198 से रकवा 8 बीघा को राजहित में सिवायचक दर्ज की जावे।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।